

पत्र संख्या-विधि-1(3)-ईट भट्टा समायो-0-(10-11) / १८५८ / १०११०६३ /वाणिज्य कर।
 कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
 (विधि अनुभाग)
 दिनांक :: लखनऊ :: फरवरी १५ , २०११

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर,
 वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

ईट भट्टा सीजन वर्ष 2010-2011 में दिनांक 1-10-2010 से 30-9-2011 तक की अवधि के लिए एक मुश्त धनराशि लिये जाने सम्बन्धित समाधान योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-क0नि-0-1939/ग्यारह-2-2010-9-(32)/09, दिनांक 29-12-2010 के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या-विधि-1(3)-ईट भट्टा समायो-0(2010-11)/1679/1011074/वाणिज्य कर, दिनांक 29-12-2010 द्वारा निर्देश जारी किये गये थे।

2- शासन के संदर्भित पत्र दिनांक 29-12-2010 में दिये गये निर्देशों के बिन्दु-५ में यह उल्लेख किया गया था कि -

समाधान योजना के कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा परिपत्रित करने के 20 दिन के अन्दर ईट भट्टा व्यवसाइयों द्वारा समाधान योजना हेतु विकल्प का प्रार्थनापत्र निर्धारित समाधान धनराशि के जमा के प्रमाण के साथ सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। उसके पश्चात् यदि 15 दिन के अन्दर इस अवधि के लिए देय समाधान राशि 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा करके समाधान योजना का विकल्प प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाता है तब भी इसे स्वीकार कर लिया जायेगा। उक्त दोनों समय सीमा के बाद राजस्व हित में समाधान योजना का विकल्प देने के लिए अधिकतम 30 दिन की अतिरिक्त अवधि बढ़ाने का अधिकार कमिशनर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को प्रदान कर दिया जाये एवं विकल्प हेतु निर्धारित 20 दिन की अवधि के उपरान्त कमिशनर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमन्य की गयी अवधि तक के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित समाधान राशि जमा करनी होगी।

3- उत्तर प्रदेश ईट निर्माता समिति (रजिस्टर्ड) लखनऊ के पत्र दिनांक 2-2-2011 द्वारा इस आशय का प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ है कि योजना के प्रचार-प्रसार हेतु समिति स्तर से काफी प्रयास किया गया था फिर भी दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित जानकारी और सूचना के अभाव में अभी कुछ ईट भट्टे योजना स्वीकार नहीं कर पाये हैं। इसलिए योजना की सफलता और राजस्व लक्ष्य संग्रह के व्यापक हित में योजना को स्वीकार करने का समय शासनादेश में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत 30 दिनों के लिए बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है।

4- मुख्यालय स्तर पर ईट निर्माता समिति के प्रत्यावेदन पर विचार किया गया। समाधान प्रार्थनापत्र का विकल्प प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 20 दिन एवं विलम्ब से ब्याज सहित जमा करने की अवधि 15 दिन दिनांक 2-2-2011 को समाप्त हो गयी है। अतः राजस्व हित में एवं अधिक से अधिक ईट भट्टे समाधान योजना अपना संकेत लिए समाधान प्रार्थनापत्र स्वीकार करने की अवधि दिनांक 2-2-2011 से 30 दिन अर्थात् दिनांक 4-3-2011 तक बढ़ायी जाती है। विकल्प हेतु निर्धारित 20 दिन की अवधि के

उपरान्त अनुमन्य की गयी अवधि तक के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित समाधान राशि जमा करनी होगी।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये जिससे कि अधिक से अधिक ईट भट्टे समाधान योजना का विकल्प अपना सकें।

(चन्द्र भानु)
कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

प्रृष्ठसं० एवं दिनांक उक्ता ।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
- (1) प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
 - (2) निदेशक, राजस्व व विशेष अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
 - (3) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियों में)
 - (4) अध्यक्ष/निबन्धक उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, ३०प्र०
 - (5) समस्त एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-१ वाणिज्य कर, ३०प्र० मुख्यालय लखनऊ।
 - (6) एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-२(वि०अनु०शा०), वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
 - (7) समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य०वि०अनु०शा०/अपील) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
 - (8) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
 - (9) महालेखाकार, १७१ ए अशोक नगर, इलाहाबाद।
 - (10) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
 - (11) प्रबन्धक, इसेंट्रिक, पिकप, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
 - (12) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
 - (13) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट ऑफिस आफ द एजीआडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
 - (14) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर 10 नोयडा।
 - (15) ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी कमि०/असिस्टेन्ट कमिशनर, सर्वोच्च न्यायालय कार्यगाजियाबाद।
 - (16) ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी कमि०/असिंकमि०(३०न्या०कार्य०) लखनऊ/इलाहाबाद।
 - (17) मैअनुल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः ५-५ तथा १० प्रतियों में।
 - (18) विधि अनुभाग मुख्यालय को ५० प्रतियों।
 - (19) समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
 - (20) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट बैल फेयर एस००१८५/२९३ अमीनाबाद रोड, गोणश गंज, लखनऊ।
 - (21) अधिशासी निदेशक, उद्योग बस्यु, सी 15 माल एवेन्यू लखनऊ।
 - (22) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, ८७/३४९ आर्या नगर, सगीत टाकिज के पीछे कानपुर।
 - (23) श्री बनवारी लाल कंठल, अध्यक्ष, आर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंठल कुँज, ६६, शास्त्री नगर, लखनऊ।
 - (24) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, २९बी विधायक निवास दारुलस़ाफा लखनऊ।
 - (25) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कार्मस, १४/२६ सिविल लाइन्स कानपुर।
 - (26) एसोशिएटेड चेम्बर आफ कार्मस एण्ड इण्ड० ४/१८० विशाल खण्ड पी०वी०-१७ गोमती नगर लखनऊ।
 - (27) पी एच डी चेम्बर आफ कार्मस एण्ड इण्ड० १ ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ।
 - (28) अवधि चेम्बर आफ कार्मस एण्ड इण्ड० द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड० ऐशबाग रोड, लखनऊ।
 - (29) आल इंडिया मैन्यूफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-४ साइट संख्या ३ मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल परिया गाजियाबाद।
 - (30) कनेफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड० निराला नगर, लखनऊ।
 - (31) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों/सम्भागीय सलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य०) के माध्यम से।
 - (32) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय १० इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।

- (33) शिव कुमार अरोड़ा, एडवोकेट, महा सचिव, उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसो। जमुना बिहार, एस0एस0कालेज रोड, खतौली जिला मुजफ्फरनगर
- (34) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ३०प्र० शासन २६/१०३ बिरहना रोड कानपुर।
- (35) प्रो। डॉ। सुरेन्द्र नाथ डीन फैक्टरी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी, बनारस।
- (36) प्रो। श्रीमती रंजना कवकड़, १५ टैगोर टाउन इलाहाबाद।
- (37) डा। छेदी लाल साथी, ए-५/१५७९ इन्द्रा नगर, लखनऊ।
- (38) श्री बी०एन०राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू०पी०टैक्स बार एसो। ४५ चन्द्रिका कालोनी, सिगरा वाराणसी।
- (39) श्री अशोक धवन सी के -२४/ १कुंजगली, चौक, वाराणसी।
- (40) श्री नेकी राम गार्ग, अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, ७०७, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु०नगर।
- (41) श्री पी०एस०जैन, १३८ ए ब्लाक ए सेक्टर २७ नोयडा।
- (42) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) ३०प्र०ट्र० आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि०), पुलदाल मण्डी सहारनपुर।
- (43) आर०डी०गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद।
- (44) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा०ज०पा०निवासी ६० चाहचन्द इलाहाबाद।
- (45) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल, तार प्रदेश, १९ सुरेशबाग, कानपुर।
- (46) इन्डियन इण्ड०एसो०, १५९/ए -८, १५ प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु०नगर।
- (47) संयोजक, टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू०पी०(रजि०)५२, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ।
- (48) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस, आगरा।
- (49) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को०प० स्टेट लि० ५१-बी उद्योग नगर कानपुर।
- (50) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू०पी०रोलर फ्लोर मिलर्स एसो। ३-एक्स, गोखले मार्ग लखनऊ।
- (51) श्री दिनेश अरोरा ३०प्र० वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो। ५१/५८-ए शक्कर पट्टी कानपुर।
- (52) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष ३०प्र० टेन्ट व्यापार एसो। ५६५/५६६ राजेन्द्र नगर लखनऊ।
- (53) श्री हुलास राय सिंधल, प्रदेश अध्यक्ष, एफ-३, पार्क रोड, लखनऊ।
- (54) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सँगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी०-बी-२९, विधायक निवास, दारूल शाफा, लखनऊ।
- (55) माननीय अध्यक्ष, व्यापार कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ।
- (56) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, २७ ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ।
- (57) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष ३०प्र० कागज कापी व्यवसायी संघ, ६/६-ए, ३० बी०एन०रोड, अमीनाबाद लखनऊ।
- (58) अध्यक्ष, इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस २ गोमती नगर लखनऊ।
- (59) वैट लॉ जनरल १० नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड मेरठ।
- (60) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी०) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीबता नोटरा सदाबाद गेट, हाथरस।
- (61) सर्वथा दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, ६७/११६ सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर।
- (62) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (३०प्र०)
- (63) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, ३०प्र०उद्योग व्यापार मण्डल-२२/२६ आशोदेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद।
- (64) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी, उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली न०-६ गोपाल टॉकीज के पीछे बदायू० य०पी०।
- (65) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- १५/५ राजनगर, गाजियाबाद।
- (66) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशन, आर०डी०सी०-५१, राजनगर, गाजियाबाद।
- (67) श्री बी०एन०शुक्ला, अध्यक्ष, यू०पी० पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, १०३ बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, १ यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ।

(बी०एन० द्विवेदी)

जवाइन्ट कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।